GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 5002
TO BE ANSWERED ON 23.03.2026

OLD-AGE PENSION SCHEMES

5002. SHRI SUDAMA PRASAD:

Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether the Government maintains data on total number of citizens aged 60 years and above in the country and if so, the details thereof along with the number of such persons who have not been covered under any old-age pension scheme or social security scheme, as on date;
(b) the details of the number of beneficiaries enrolled under the Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan (PMSYM) in the country, since its inception, State/UT-wise;
(c) the details of the financial contribution made by the Government under the PMSYM in the country during the last five years and the current year, year and State/UT-wise, including the total funds released;
(d) the details of steps taken/being taken by the Government to expand coverage of old-age pension scheme and other social security schemes among unorganised sector workers and senior citizens during the said period; and
(e) whether the Government has assessed gap between eligible population and actual coverage under the PMSYM and other pension scheme, if so, the details thereof and the action taken thereon?

ANSWER

MINISTER OF STATE FOR LABOUR AND EMPLOYMENT
(SUSHRI SHOBHA KARANDLAJE)

(a) to (e): The Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan (PM-SYM) scheme was launched in February, 2019 in order to provide old age protection to the workers of unorganised sector. This is a voluntary and contributory pension scheme. Under the scheme, a monthly assured pension of Rs. 3000/- is provided to the unorganised workers after attaining the age of 60 years. The workers in the age group of 18 to 40 years whose monthly income is Rs. 15000/- or less and not a member of EPFO/ESIC/NPS (Govt. funded) are eligible to join the

Contd..2/-

scheme. The monthly contribution amount ranges from Rs. 55/- to Rs. 200/-, depending upon the entry age of the beneficiary. Under the scheme, 50% monthly contribution is payable by the beneficiary and equal matching contribution is paid by the Central Government. Enrolment in the Scheme is done through the Common Service Centres, with its network of about 4 lakh Centres across the country. Eligible unorganised workers can also self-enrol through visiting the portal www.maandhan.in.

The number of beneficiaries enrolled under the Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan (PM-SYM) scheme is 52,54,217 (including bulk registration of 5,06,603 beneficiaries) as on 12.03.2026. States/UTs-wise details of beneficiaries enroled under PM-SYM are placed at Annexure-I.

Under this scheme, the Central Government makes a matching contribution equal to the subscriber's contribution. Life Insurance Corporation of India (LIC) is the fund manager of the scheme. Year-wise details of fund released under this scheme during the last five years and the current year are provided at Annexure-II.

The steps taken by the Government to expand coverage of old-age pension scheme among unorganised sector workers are as follows:

(i) Holding periodic review meeting with States/ UTs.
(ii) Common Services Centres (CSCs) are given incentives on every eligible person enroled in PM-SYM.
(iii) Launch of new features: Voluntary Exit, Revival Module, Claim Status, and Account Statement.
(iv) Extension of revival of dormant accounts from 1 year to 3 years.
(v) Two-way integration of PM-SYM and eShram.
(vi) SMS campaign in local languages to create awareness.
(vii) Addressing Chief Secretaries of States regarding enrolment under PM-SYM scheme.
(viii) Organising a nationwide special registration drive for enrolment of unorganised workers under PM-SYM scheme as:

Phase I: Urban Areas from 15th January 2026 – 15th February 2026 already completed.

Phase II: Rural Areas from 16th February 2026 – 31st March 2026.

** *****

Annexure-I

Annexure referred to in reply to Part (a) to (e) of the Lok Sabha unstarred Question No. 5002 for 23.03.2026 regarding "Old-age Pension Schemes" raised by Shri Sudama Prasad.

State-wise registration under PM-SYM scheme (as on 12.03.2026)

Sl. No.	States/UTs	Registration
1	HARYANA	8,26,818
2	UTTAR PRADESH	7,05,551
3	MAHARASHTRA	6,27,714
4	GUJARAT	3,94,783
5	CHHATTISGARH	2,44,330
6	BIHAR	2,33,780
7	KARNATAKA	2,14,358
8	ODISHA	1,94,179
9	MADHYA PRADESH	1,93,002
10	ANDHRA PRADESH	1,79,412
11	RAJASTHAN	1,52,464
12	JHARKHAND	1,39,611
13	WEST BENGAL	1,24,964
14	JAMMU AND KASHMIR	96,476
15	TAMIL NADU	71,140
16	PUNJAB	59,435
17	HIMACHAL PRADESH	48,124
18	ASSAM	45,362
19	TELANGANA	45,071
20	UTTARAKHAND	42,882
21	TRIPURA	34,564
22	KERALA	16,111
23	DELHI	11,762
24	PUDUCHERRY	9,481
25	MEGHALAYA	7,293
26	MANIPUR	6,131
27	NAGALAND	5,124
28	CHANDIGARH	4,407
29	ARUNACHAL PRADESH	3,302
30	ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS	2,380
31	GOA	2,064
32	THE DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU	1,899
33	MIZORAM	1,779
34	LADAKH	1,479
35	SIKKIM	360
36	LAKSHADWEEP	22
	Total	**47,47,614**
	Bulk registration in the year 2019-20	**5,06,603**
	Total	**52,54,217**

Data source: maandhan.in

<u>Annexure-II</u>

Annexure referred to in reply to Part (a) to (e) of the Lok Sabha unstarred Question No. 5002 for 23.03.2026 regarding "Old-age Pension Schemes" raised by Shri Sudama Prasad.

Year-wise details of fund released under the PM-SYM scheme during the last five years and the current year.

Finacial Year	**Fund released for GPA contribution (Rs. in Crore)**
2020-21	319.71
2021-22	324.23
2022-23	269.91
2023-24	162.51
2024-25	232.11
2025-26	224.16
Total	**1532.63**

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5002
सोमवार, 23 मार्च, 2026/02 चैत्र, 1948 (शक)

वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं

†5002. श्री सुदामा प्रसाद:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों की कुल संख्या के संबंध में आंकड़े रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तिथि के अनुसार ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें किसी वृद्धावस्था पेंशन योजना या सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है;

(ख) देश में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएमएसवाईएम) के प्रारंभ से लेकर अब तक इसके अंतर्गत नामांकित लाभार्थियों की संख्या का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में पीएमएसवाईएम के अंतर्गत सरकार द्वारा किए गए वितीय अंशदान और जारी की गई कुल निधि का वर्ष-वार और राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान असंगठित क्षेत्र के कामगारों और वरिष्ठ नागरिकों के बीच वृद्धावस्था पेंशन योजना और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के कवरेज का विस्तार करने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने पीएमएसवाईएम और अन्य पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र जनसंख्या और वास्तविक कवरेज के बीच अंतर का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वृद्धावस्था संरक्षण प्रदान करने के लिए फरवरी, 2019 में शुरू की गई थी। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के अंतर्गत, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद असंगठित कामगारों को 3000/- रुपए की मासिक सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाती है। 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के वे कामगार, जिनकी मासिक आय 15000/- रुपए या उससे कम है और ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस (सरकार द्वारा वित्त पोषित) के सदस्य नहीं हैं, इस योजना में शामिल होने के पात्र हैं। लाभार्थी की प्रवेश आयु के आधार पर मासिक अंशदान की राशि 55/- रुपए से 200/- रुपए तक होती है। योजना के तहत, 50% मासिक अंशदान लाभार्थी द्वारा देय होता है और सदृश

जारी/2---

अंशदान का केंद्र सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है। योजना में नामांकन देश भर में लगभग 4 लाख केंद्रों के अपने नेटवर्क के साथ सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से किया जाता है। पात्र असंगठित कामगार www.maandhan.in पोर्टल पर जाकर स्व-नामांकन भी कर सकते हैं।

दिनांक 12.03.2026 तक की स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना के अंतर्गत नामांकित लाभार्थियों की संख्या 52,54,217 है (5,06,603 लाभार्थियों के बल्क पंजीकरण सहित)। पीएम-एसवाईएम के तहत नामांकित लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार अभिदाता के अंशदान के बराबर ही मैचिंग अंशदान देती है। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) इस योजना का निधि प्रबंधक है। पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस योजना के तहत जारी की गई धनराशि का वर्ष-वार विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के बीच इस वृद्धावस्था पेंशन योजना योजना की कवरेज को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

(i) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकें आयोजित करना।

(ii) सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) को पीएम-एसवाईएम में नामांकित प्रत्येक पात्र व्यक्ति पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

(iii) नई सुविधाओं की शुरुआत: स्वैच्छिक निकास, रिवाइवल मॉड्यूल, दावे की स्थिति और खाता विवरण

(iv) निष्क्रिय खातों के रिवाइवल की अवधि को 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष करना।

(v) पीएम-एसवाईएम और ई-श्रम का दो-तरफा एकीकरण

(vi) जागरूकता पैदा करने के लिए स्थानीय भाषाओ में एसएमएस अभियान।

(vii) पीएम-एसवाईएम योजना के तहत नामांकन के संबंध में राज्यों के मुख्य सचिवों को संबोधित करना।

(viii) पीएम-एसवाईएम योजना के तहत असंगठित कामगारों के लिए देशव्यापी विशेष नामांकन अभियान का निम्नानुसार आयोजन करना:

चरण I: शहरी क्षेत्र के लिए 15 जनवरी 2026 - 15 फरवरी 2026 तक जिसे पहले ही पूरा कर लिया गया है।

चरण II: ग्रामीण क्षेत्र के लिए 16 फरवरी 2026 - 31 मार्च 2026

** ****

<u>**अनुबंध-I**</u>

"वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं" के संबंध में श्री सुदामा प्रसाद द्वारा दिनांक 23.03.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5002 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

पीएम-एसवाईएम योजना के अंतर्गत राज्यवार पंजीकरण (दिनांक 12.03.2026 तक की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	पंजीकरण
1	हरियाणा	8,26,818
2	उत्तर प्रदेश	7,05,551
3	महाराष्ट्र	6,27,714
4	गुजरात	3,94,783
5	छत्तीसगढ	2,44,330
6	बिहार	2,33,780
7	कर्नाटक	2,14,358
8	ओडिशा	1,94,179
9	मध्य प्रदेश	1,93,002
10	आंध्र प्रदेश	1,79,412
11	राजस्थान	1,52,464
12	झारखंड	1,39,611
13	पश्चिम बंगाल	1,24,964
14	जम्मू और कश्मीर	96,476
15	तमिलनाडु	71,140
16	पंजाब	59,435
17	हिमाचल प्रदेश	48,124
18	असम	45,362
19	तेलंगाना	45,071
20	उत्तराखंड	42,882
21	त्रिपुरा	34,564
22	केरल	16,111
23	दिल्ली	11,762
24	पुदुचेरी	9,481
25	मेघालय	7,293
26	मणिपुर	6,131
27	नागालैंड	5,124
28	चंडीगढ़	4,407
29	अरुणाचल प्रदेश	3,302
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2,380
31	गोवा	2,064
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1,899
33	मिजोरम	1,779
34	लद्दाख	1,479
35	सिक्किम	360
36	लक्षद्वीप	22
	कुल	**47,47,614**
	वर्ष 2019-20 में बल्क पंजीकरण	**5,06,603**
	कुल	**52,54,217**

डाटा स्रोत: *maandhan.in*

<u>अनुबंध-II</u>

"वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं" के संबंध में श्री सुदामा प्रसाद द्वारा दिनांक 23.03.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5002 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पीएम-एसवाईएम योजना के तहत जारी की गई धनराशि का वर्ष-वार विवरण।

वित्त-वर्ष	**जीपीए अंशदान के लिए जारी राशि (रुपये करोड़ में)**
2020-21	319.71
2021-22	324.23
2022-23	269.91
2023-24	162.51
2024-25	232.11
2025-26	224.16
कुल	**1532.63**

*****